म0प्र0 राज्य क़ृषि विपणन बोर्ड,

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/यो./गै.तक./73 पार्ट-1/भो.के./2023/ 1218 भोपाल, दिनांक 08/05/2023

-:: परिपत्र ::-

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के समसंख्यक पत्र क्रमांक/ मंडी/प्रांगण/विविध/केन्टीन/45/48/3956-57 दिनांक 30-12-2008 द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी प्रांगण में अपनी कृषि उपज विक्रय के लिये आने वाले कृषको को 05 रूपये प्रति थाली भोजन मंडी प्रांगण में उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाकर भोजन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु समय-समय पर मुख्यालय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किये जाकर मंडियो को निर्देशित किया गया है।

उल्लेखित परिपत्र में आंशिक संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल पत्र क्रमांक/बोर्ड/यो.गै.तक./77/2018-19/876 भोपाल दिनांक 21-05-2018 से मंडी में लायसेंसधारी हम्माल तुलावटियों को भी 05 रूपये प्रति थाली भोजन व्यवस्था कूपन के माध्यम से मंडी प्रांगण में उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी किये गये है।

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियो में मंडी प्रांगण में अपनी कृषि उपज विक्रय के लिये लाने वाले कृषको एवं मंडी अनुज्ञप्तिधारी हम्माल तुलावटियों को 5/- रूपये प्रतिथाली भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में प्रदेश की 'ग' वर्ग की मंडी को 50 प्रतिशत एवं 'घ' वर्ग की मंडियो में 100 प्रतिशत अनुदान मंडी बोर्ड द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश की कई कृषि उपज मंडी समितियो की वार्षिक आय/आवक में वृद्धि/कमी हुई है। प्रदेश की मंडियो का वर्गीकरण वर्ष 2016 के पश्चात् अर्थात विगत 07 वर्षो से न होने के कारण प्रदेश मंडियो में संचालित 5/- रूपये प्रतिथाली दर पर भोजन योजना संबंधी मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल का परिपत्र क्रमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/केन्टीन/ 45/48/3956-57 दिनांक 30-12-2008 की कंडिका 05 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

- **प्रदेश की 'क' एवं 'ख' वर्ग की कृषि उपज मंडी समितियो को मंडी प्रांगण में संचालित 5/- रूपये प्रतिथाली दर पर भोजन योजना के लिये मंडी बोर्ड द्वारा पूर्व से लिए गए निर्णयानुसार कोई अनुदान नही दिया जायेगा, वर्तमान में प्रदेश की 'ग' एवं 'घ' वर्ग की जिन मंडियो की वार्षिक आय दो करोड़ रूपये से अधिक है उन्हे भी कोई अनुदान मंडी बोर्ड द्वारा नही दिया जायेगा एवं जिन 'ग' एवं 'घ' वर्ग की मंडियो की वार्षिक आय दो करोड़ रूपये से कम है वहां पूर्ववत 'ग' वर्ग की मंडी को 50% एवं 'घ' वर्ग की मंडियो में 100% अनुदान मंडी बोर्ड से जारी किया जायेगा।**

यह परिपत्र जारी दिनांक से प्रभावशील होगा, उल्लेखित निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(गौतम सिंह)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/यो./गै.तक./73 पार्ट-1/भो.के./2023/ 1219 भोपाल, दिनांक 08/05/2023

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक, प्रबंध संचालक सह आयुक्त, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. अपर संचालक (समस्त)/संयुक्त संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
5. अधीक्षण यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
6. चीफ प्रोग्रामर, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
7. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)।
8. कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग .... (समस्त)।
9. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति .... (समस्त) जिला .... की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, उक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल